एक नजर में

देवास में महिला समेत पांच गोवंश तस्कर गिरफ्तार

देवास. जिले के सतवास में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चार वाहनों को पकड़कर उनमें से 13 गोवंश बरामद किए. मौके से एक महिला समेत पांच लोगों को पकड़कर सतवास पुलिस के सुपुर्द किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला सतवास थाना क्षेत्र के कलम फाटा का है. यहां आज सुबह करीब छह बजे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश तस्करी की सूचना पर नाकाबंदी की थी. इस दौरान कुल सात वाहन वहां से गुजरे, जिनमें से चार वाहनों को रोक लिया गया, जबकि तीन वाहन मौके से निकल गए. पकड़े गए चार वाहनों से 13 गोवंश बरामद किए गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये वाहन गाडरवारा से सनावद की ओर जा रहे थे. कार्रवाई के दौरान एक महिला समेत पांच लोगों को पकड़ा गया.

पिस्टल, रिवॉल्वर समेत तस्कर गिरफ्तार

इंदौर. अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ तेजाजी नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को तीन देशी पिस्टल, एक देशी रिवॉल्वर और चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियारों के साथ वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की है. अब पुलिस हथियारों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार 16 अगस्त को तेजाजी नगर थाना पुलिस आउटर कॉलोनी और बायपास क्षेत्र में संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान कस्तूरबा ग्राम, रालामंडल रोड पर एक युवक मोटरसाइकिल के साथ खड़ा दिखाई दिया. पुलिस वाहन को अपनी ओर आता देख युवक घबरा गया और मोटरसाइकिल पलटाकर भागने लगा. पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.

रेस्टोरेंट मालिक का बेटा निकला हत्यारा

इंदौर. बाणगंगा क्षेत्र में रेस्टोरेंट में काम करने वाले 55 वर्षीय हलवाई की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट मालिक के बेटे ने चोरी के शक और पुराने विवाद के चलते हलवाई पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल रॉड, मोटरसाइकिल और कपड़े जब्त कर लिए हैं. मृतक श्रीराम राजपूत शिवकंठनगर निवासी थे और लक्ष्मीनारायण भाटी के रुचि रेस्टोरेंट में हलवाई का काम करते थे. कुछ समय पहले उनका रेस्टोरेंट मालिक के बेटे राहुल भाटी और उसके दोस्त से मोबाइल पर बातचीत को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद श्रीराम ने काम छोड़ दिया था. परिजनों के अनुसार उनके करीब दो माह के वेतन का भुगतान भी बाकी था. पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त को राहुल भाटी श्रीराम के घर पहुंचा और रुपए देने की बात कहकर उन्हें दोबारा रेस्टोरेंट चलने के लिए साथ ले गया.

एमपी में 11 नये औद्योगिक पार्क

सीएम ने नई दिल्ली में एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में रखा प्रदेश का विजन

9047.08
एकड़ क्षेत्र में होगा विकसित

8144.35
करोड़ खर्च होंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 अगस्त. भारत सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत मप्र ने फेज-1, राउंड-1 में 11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं. इन प्रस्तावों के तहत कुल 9,047.08 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने की योजना है. प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल लागत 8,144.35 करोड़ रूपये है. इन औद्योगिक पार्कों को निवेश-तैयार और प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं से युक्त विकसित करने का लक्ष्य है. इससे प्रदेश में नए निवेश आकर्षित होने के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा.

यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की तीसरी एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान पेश की. बैठक में सीएम ने प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश संभावनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर तथा आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना के विकास से जुड़े विषयों पर राज्य सरकार का विजन रखा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं, उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं की जानकारी दी. मप्र द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा आधुनिक, विश्वस्तरीय और निवेश-तैयार औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया.

बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी उपस्थित थे. बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़े विषयों पर अपने-अपने राज्यों का विजन रखा. बैठक में मप्र की औद्योगिक विकास योजनाओं की प्रस्तुति से प्रदेश की निवेश क्षमता और औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया गया.

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के अलग- अलग हिस्सों में

मप्र द्वारा राउंड-1 के तहत प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों को राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित रूप से वितरित किया गया है, ताकि औद्योगिक विकास के लाभ संपूर्ण राज्य में समान रूप से पहुंच सकें. प्रस्तावित 11 परियोजनाओं में अवंतिका इंडस्ट्रियल सेंटर (उज्जैन), भैंसोला (धार), पिपलरावांन-पालीकालन (देवास-शाजापुर), ढ्रक्ररतलाम-पलसोड़ी, आष्टा इंडस्ट्रियल क्लस्टर (सीहोर), मसवासी ग्रांट (सागर), चैनपुरा (गुना), मोहना (ग्वालियर), धरमपुरा (जबलपुर), सिमरा (कटनी) और शिवसागर (रीवा) शामिल है. इन परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल 9,000 एकड़ से अधिक है। भैंसोला औद्योगिक पार्क को टेक्सटाइल पार्क के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो धार स्थित भारत के सबसे बड़े पीएम मित्रा पार्क का विस्तार होगा तथा वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण वैल्यू चेन को समाहित करेगा. इसके अतिरिक्त, ये इंडस्ट्रियल पार्क फार्मा, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करेंगे तथा इनसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न करेंगे.

ट्विशा मौत केस : सीबीआई ने पेश की 636 पेज की चार्जशीट

समर्थ और गिरिबाला ने किया प्रताड़ित

- सास-पति की प्रताड़ना से हारी ट्विशा
- जिंदगी खत्म करने के अलावा नहीं बचा था रास्ता

नवभारत न्यूज

भोपाल, 17 अगस्त. एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट यानी आरोप-पत्र पेश किया है. 636 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह को आरोपी बनाया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 108 और 3(5) के तहत अभियोजन चलाने की बात कही गई है. सीबीआई की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने ट्विशा को लगातार मानसिक प्रताड़ना दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसिक प्रताड़ना इस स्तर तक पहुंच गई थी कि ट्विशा के पास अपनी जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था.

> जांच रिपोर्ट के अनुसार 12 मई 2026 को ट्विशा ने कटारा हिल्स वाले अपने वैवाहिक घर की छत पर टीन शेड में लगे लोहे के सरिए से जिम बेल्ट-पट्टे की मदद से फंदा लगाकर आत्महत्या की थी. सीबीआई ने इसे लगातार मानसिक प्रताड़ना का परिणाम बताया है. करीब 150 गवाहों के बयान भी दर्ज हैं. रिपोर्ट में महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है कि दहेज की मांग और दहेज मृत्यु के पहलू पर आगे की जांच जारी रखी जाएगी. यानी सीबीआई ने इस बिंदु पर जांच को अभी पूरी तरह बंद नहीं किया है.

इंदौर में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत

इंदौर. सोमवार शाम खुड़ैल क्षेत्र के ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 55 वर्षीय कांशीराम दोहरे की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया. खुड़ैल पुलिस के अनुसार कांशीराम दोहरे सिंगापुर टाउनशिप के रहने वाले थे. वे रिश्तेदारों से मिलने गए थे और लौटते समय हादसे का शिकार हो गए.

प्रेमी के साथ मां ने की मासूम की हत्या, कुंए में फेंका

भिंड, 17 अगस्त . जिले के लहार थाना क्षेत्र के मेहरी गांव में कुएं में मिली छह वर्षीय सृष्टि दौहरे की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है.

पुलिस के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में बच्ची की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसकी मां ज्योति दौहरे और उसके प्रेमी रमाशंकर शर्मा के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज किया गया है. जांच में पुलिस ने प्रेम संबंध को हत्या की वजह बताया है, पुलिस का दावा है कि दोनों शादी करना चाहते थे और बच्ची उनके रिश्ते में बाधा बन रही थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया. दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

1.20 करोड़ के लिए नाबालिगों ने ली जान

- तलैया के अंधे कत्ल का खुलासा, 5 अरेस्ट
- प्राइवेट पार्ट काटकर की थी निर्मम हत्या

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 17 अगस्त. तलैया और श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने कथित तौर पर मानव अंग तस्करी को लेकर हुए अंध कत्ल का खुलासा सोमवार को किया. 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लालच में 17 साल के नाबालिग लड़के का प्राइवेट पार्ट काट कर निर्मम हत्या करने वाले तीन नाबालिग सहित पांच आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है.

पुलिस टीम ने आरोपी आमिर कुरैशी (18) और जोहेब खान (20) निवासी टोल वाली मस्जिद के पास को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों के साथ हत्याकांड में तीन अन्य नाबालिग आरोपी भी शामिल रहे. मृतक की मां ने फोटो देखकर बेटे रेहान की पहचान की. 10 अगस्त को छोटे तालाब धोबीघाट के पास एक अज्ञात शव देखा गया. जानकारी के मुताबिक आरोपी आमिर ने 1 करोड़ 20 लाख रुपये पाने के लालच में साजिश रची. आरोपियों की नजर एक महीने पहले रेहान पर पड़ी और उसके दोस्ती बनाई गई. इकबाल मैदान, रेत घाट कमला पार्क, बस स्टैण्ड एवं रायल मार्केट इलाके में घूमकर रेहान पेन और चाबी के छल्ले बेचता था. 6 अगस्त को आरोपियों ने 100 रुपए का लालच देकर रेहानो को झांसे में लेकर छोटे तालाब धोबी घाट पहुंचे. इसके बाद पांच आरोपियों ने साथ मिलकर रेहान की हत्या कर उसका प्रायवेट पार्ट निकाला. गिरफ्त में आया एक नाबालिग आरोपी कथित तौर पर डाक्टर की पढ़ाई करता है. फिलहाल पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जोहेब प्रायवेट पार्ट को बिकवा नहीं पाया तो अगले दिन वापस आमिर और नाबालिग आरोपियों को सौंप दिया. दो तीन दिन के भी उसे नहीं बेच पाने के बाद आरोपियों ने उसे तालाब में फेंक दिया.

हज यात्रियों को विदा करने उमड़ी भीड़, भगदड़ जैसे हालात

जबलपुर. हज यात्रियों को विदा करने रविवार रात जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई. ट्रेन नंबर 12187 गरीब रथ एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर पहुंचते ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए. कुछ ही देर में स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए. स्थिति बिगड़ती देख आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाला. यात्रियों और उनके परिजनों को नियंत्रित करने के लिए लगातार उद्घोषणा कराई गई, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा. हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को विदा करने उनके परिवार और परिचित बड़ी संख्या में स्टेशन पहुंचते हैं.

आधी रात 40 छात्राओं ने फांदी दीवार

अव्यवस्थाओं से परेशान होकर पहुंची थाने, मचा हड़कंप

धार 17 अगस्त. मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले की कुक्षी तहसील के निसरपुर पुनर्वास स्थल स्थित माता शबरी आदिवासी कन्या छात्रावास में अव्यवस्थाओं से परेशान करीब 40 छात्राएं रविवार आधी रात खिड़की से कूदकर कुक्षी के लिए पैदल निकल गईं. छात्राओं के रात करीब 12 बजे छात्रावास से निकलने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया.

लगभग ढाई किलोमीटर पैदल चलने के बाद कटनेरा पुल के पास सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर समझाइश दी. इसके बाद वाहनों से छात्राओं को कुक्षी लाया गया. कुक्षी पहुंचकर छात्राओं ने तहसीलदार प्रवीण पाटीदार, एसडीओपी सुनील गुप्ता और थाना प्रभारी के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं. छात्राओं ने बताया कि 50 छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास भवन में वर्तमान में करीब 140 छात्राएं रह रही हैं. इनमें कन्या शिक्षा परिसर की 50 छात्राएं भी शामिल हैं. जगह की कमी के कारण कई बार एक ही बिस्तर पर दो से तीन छात्राओं को सोना पड़ता है. सूचना मिलने पर जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल भी छात्राओं से मिले और उनकी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं. अधिकारियों द्वारा सोमवार दोपहर तक समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद छात्राएं रात करीब दो बजे वाहनों से छात्रावास वापस पहुंचीं.

> छात्राओं ने छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि उन्हें घटिया भोजन दिया जाता है और सुबह के नाश्ते में निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं किया जाता. छात्राओं ने छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कन्या शिक्षा परिसर की छात्राओं को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित करने तथा वर्तमान प्रबंधन को हटाने की मांग की. छात्राओं ने शिक्षा एवं प्रशासन विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण की प्रक्रिया पर भी नाराजगी जताई.

शराब ठेकेदार से वसूली पर आबकारी अफसर सस्पेंड

- मुरैना कलेक्टर ने वायरल वीडियो पर की कार्रवाई
- एक सप्ताह पहले किया था जबाव-तलब

मुरैना, 17 अगस्त. जिले की कार्यवाहक प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी निधि गुप्ता को कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार निधि गुप्ता और एक शराब ठेकेदार के बीच रुपयों के लेनदेन से संबंधित बातचीत का वीडियो और ऑडियो गत एक अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. कलेक्टर ने वायरल वीडियो और ऑडियो का संज्ञान लेते हुए पांच अगस्त को निधि गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था. निधि गुप्ता ने 12 अगस्त को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया. जवाब का परीक्षण करने के बाद कलेक्टर ने उसे संतोषजनक नहीं पाया. इसके बाद कलेक्टर ने सोमवार को निलंबन के आदेश जारी किए. आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान निधि गुप्ता का मुख्यालय मुरैना जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है.

इंजीनियर, लाइनमैन रंगेहाथ गिरफ्तार

जबलपुर, 17 अगस्त. मध्यप्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार को जबलपुर जिले के कटंगी में तीन एचपी के स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक अभियंता और लाइनमैन को रंगे हाथों पकड़ा.

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देशन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज सिंह के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में यह कार्रवाई की गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार जमुनिया, तहसील कटंगी निवासी मुकेश कुमार यादव को अपनी कृषि भूमि में मोटर चलाने के लिए तीन एचपी का स्थायी बिजली कनेक्शन चाहिए था. इसके लिए उन्होंने कटंगी स्थित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में आवेदन किया था.

स्थायी कनेक्शन के लिए 12 हजार की रिश्वत

जबलपुर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

आरोप है कि कार्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता मनोज कुमार दुबे (61) और लाइनमैन धनेश कुमार शुक्ला (60) ने विद्युत कनेक्शन के एवज में आवेदक से 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की. आवेदक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर में की. शिकायत के सत्यापन के दौरान दोनों आरोपी 12 हजार रुपये रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गए. लोकायुक्त की टीम ने आज योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए कटंगी स्थित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में दोनों आरोपियों को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया.

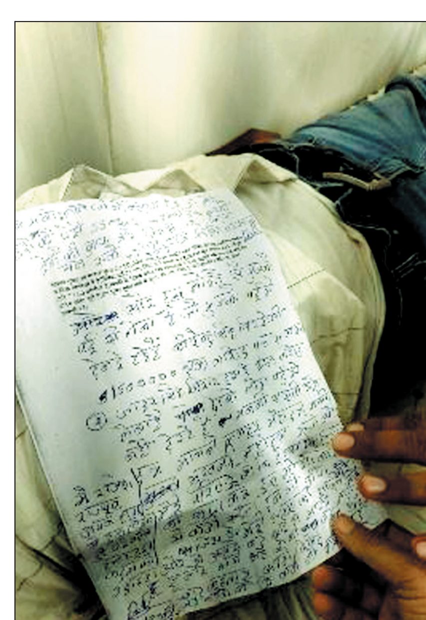

- घटना के बाद पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया
- मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच की शुरू

एसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर, अस्पताल में तोड़ा दम

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 17 अगस्त . ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सोमवार दोपहर एक युवक के जहरीला पदार्थ खाने के बाद पहुंचने और उपचार के दौरान मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी.

पुलिस के अनुसार 17 अगस्त 2026 को दोपहर 1 बजकर 9 मिनट 40 सेकंड पर एक युवक एसपी कार्यालय पहुंचा. वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों को उसने बताया कि उसने करीब 15 मिनट पहले जहरीला पदार्थ खा लिया है. इस दौरान युवक के मुंह से हरे रंग का पदार्थ निकलता हुआ दिखाई दे रहा था. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद महाराजपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक यशवंत गोयल ने तत्परता दिखाते हुए युवक को तत्काल उपचार के लिए जयारोग्य अस्पताल (जेएएच), ग्वालियर पहुंचाया. डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन जहरीले पदार्थ का सेवन पहले ही किए जाने के कारण उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.

पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक ने जहरीला पदार्थ कहां और किन परिस्थितियों में खाया था. साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

दो करोड़ के प्लाट में 60 लाख डूबे

- ब्याज सहित रकम लौटाने का किया था करार
- अवधि बीतने के बाद भी नहीं किया भुगतान

नव भारत न्यूज

इंदौर, 17 अगस्त. करीब दो करोड़ रुपए के भूखंड के सौदे में 60 लाख रुपए की बयाना राशि देने के बाद भी व्यापारी को न भूखंड मिला और न रकम वापस हुई. सौदा करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद उसके बेटे ने राशि लौटाने का नया करार किया, लेकिन तय समय निकलने के बाद भी भुगतान नहीं किया.

शिकायत की जांच के बाद विजयनगर पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है.

सुनील चौकसे ने अक्टूबर 2024 में भेरूलाल पोरवाल से इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना के एक भूखंड का सौदा किया था. अनुबंध के तहत 60 लाख रुपए बयाना दिए गए थे. इनमें 50 लाख रुपए चेक और 10 लाख रुपए नकद थे. शेष रकम रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ था. अनुबंध के करीब चार महीने बाद भेरूलाल की मौत हो गई. इसके बाद भूखंड का आवंटन और रजिस्ट्री अटक गई. आरोप है कि भेरूलाल का बेटा पंकज पोरवाल लगातार मामले को टालता रहा. मार्च 2026 में नए अनुबंध में तय हुआ कि तीन महीने में भूखंड का आवंटन नहीं होने पर 60 लाख रुपए 2 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस किए जाएंगे. समय सीमा बीतने के बाद भी न भूखंड मिला और न रकम लौटाई गई. इसके बाद सुनील चौकसे ने डीसीपी जोन 2 अमन सिंह राठौर को शिकायत की. जांच के बाद विजयनगर पुलिस ने पंकज पोरवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर दस्तावेज और लेनदेन से जुड़े साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है.

हाईकोर्ट आदेश का पालन न होने पर कलेक्टर और एनएचएआई- एमपीआरडीसी के एमडी होंगे तलब

दस दिन में ब्यॉज सहित किसानों को दो मुआवजा

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिले में करीब एक दशक पहले अधिग्रहित किसानों की जमीन का मुआवजा अब तक नहीं मिलने पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने कहा कि मुआवजा पाने के लिए किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने अनूपपुर कलेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एमपीआरडीसी) को 10 दिन में ब्याज सहित पूरा मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. आदेश का पालन नहीं होने पर कलेक्टर के साथ दोनों एजेंसियों के एमडी को कोर्ट में तलब करने की चेतावनी दी है. मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.

मामला कोतमा थाना क्षेत्र के ग्राम बुरहानपुर निवासी ज्ञान सिंह और नौ अन्य किसानों की याचिकाओं से जुड़ा है. किसानों की जमीनें नेशनल हाईवे-43 के चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2016-17 में अधिग्रहित की गई थीं. जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर प्रभावित किसानों ने हाई कोर्ट की शरण ली. सुनवाई के दौरान एनएचएआई और एमपीआरडीसी के बीच मुआवजे की राशि के भुगतान की जिम्मेदारी को लेकर स्थिति सामने आई.

इस पर कोर्ट ने दो टूक कहा कि दोनों सरकारी एजेंसियां हैं. किसान को इस विवाद में नहीं उलझाया जा सकता कि पैसा कौन देगा. कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों में से कोई एक एजेंसी पहले किसानों को मुआवजा दे और बाद में दोनों आपस में राशि का हिसाब कर लें. न्यायालय ने इसके लिये दस दिन की समय सीमा निर्धारित की है. ब्याज सहित भुगतान नहीं होने पर अनूपपुर कलेक्टर के साथ एनएचएआई और एमपीआरडीसी के एमडी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा.

> **एसडीएम के निलंबन की रिपोर्ट भी तलब**
> सुनवाई में बताया गया कि किसानों की शिकायतों के बाद कोतमा के भू-अर्जन अधिकारी एवं एसडीएम मिलिंद नागदेव को निलंबित किया गया था. हाईकोर्ट ने अनूपपुर कलेक्टर को अगली सुनवाई में एसडीएम के खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने पक्ष रखा.